[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 20/2021- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप-शीर्ष 3907 20 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/20/2019-डीजीटीआर, दिनांक 1 सितम्बर, 2020 जिसे दिनांक 1 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचें हैं कि -

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;

(ii) विषयगत देशों से प्रश्नगत उत्पाद की यहां भरमार होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रति□पाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक	ग्रुप का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	सउदी अरब	कोई भी	सदरा केमिकल कंपनी	150.06	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
2	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	सउदी अरब	कोई भी	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी	235.02	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
3	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता हो उनसे भिन्न कोई भी देश	सउदी अरब	कोई भी	235.02	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
4	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	संयुक्त अरब अमीरात	कोई भी	कोई भी	101.81	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन
5.	3907.20	फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक	जिन देशों पर	संयुक्त अरब	कोई भी	101.81	अमेरिकी डॉलर	मीट्रिक टन

		पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो	प्रतिपाटन शुल्क लगता हो उनसे भिन्न कोई भी देश	अमीरात				

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या-354/147/2020-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार